भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1660

18 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

ऊंची इमारतों में अग्नि सुरक्षा

1660 श्री इमरान प्रतापगढ़ीः

श्री नीरज डांगीः

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदीः

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिलः

श्री के.सी. वेणुगोपालः

श्रीमती रंजीत रंजनः

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिकः

डा. अमी याज्ञिकः

श्री सैयद नासिर हुसैनः

श्री दिग्विजय सिंहः

श्री धीरज प्रसाद साहू

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश भर में ऊंची इमारतों में आग लगने की कई दुर्घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो 2020 के बाद से देश भर में आवासीय और वाणिज्यिक भवनों में आग की दुर्घटनाओं के कारण हुई मौतों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) आवासीय और वाणिज्यिक भवनों में अग्नि सुरक्षा में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि बिल्डर/डेवलपर्स सुरक्षित और विश्वसनीय परियोजनाओं का निर्माण करने में विफल रहते हैं. तो सरकार उन पर कौन-से आपराधिक प्रतिबंध, यदि कोई हो, लगा सकती है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) और (ख): अग्निशमन सेवा एक राज्य का विषय है और इसे भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची के अनुच्छेद 243 (डब्ल्यू) के तहत नगरपालिका कार्य के रूप में शामिल किया गया है। यह राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आवासीय और वाणिज्यिक भवनों और ऊंची इमारतों में आग के खतरों से जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इस मंत्रालय द्वारा आग की घटनाओं/आग दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या से संबंधित कोई डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ग): महानिदेशक (अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड) स्थायी अग्नि परामर्शी परिषद (एसएफएसी) के माध्यम से एक सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। अग्नि सुरक्षा उपायों को उपयुक्त रूप से शामिल करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके संबंधित अग्निशमन सेवा अधिनियमों/नियमों में आवश्यक प्रावधान करने के लिए समय-समय पर परामर्शकाएं जारी की जाती है। जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, "राज्य में आग और आपातकालीन सेवा के रखरखाव के लिए मॉडल विधेयक" शीर्षक से 16.09.2019 को सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को संशोधित मॉडल विधेयक के आधार पर अपने संबंधित अग्निशमन सेवा नियमों/विनियमों में उपयुक्त संशोधन के लिए परिचालित किया गया था। अगले पांच वर्षों (2021-22 से 2025-26) में राज्यों में अग्निशमन सेवा को मजबूत करने के लिए 04.07.2023 को "राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना" शुरू की गई है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के मार्गदर्शन के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने मॉडल बिल्डिंग उप-नियम, 2016 भी जारी किया है जिसमें अग्नि सुरक्षा के लिए मानदंडों और मानकों को निर्धारित करने वाले "अग्नि सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं" पर एक अध्याय -11 शामिल है।

(घ): अग्निशमन सेवा एक राज्य का विषय है और इसे भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची के अनुच्छेद 243 (डब्ल्यू) के तहत नगरपालिका कार्य के रूप में शामिल किया गया है। राज्यों के पास अपने-अपने अग्नि सुरक्षा अधिनियम और नियम हैं जिनमें अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामले में दंड प्रावधान भी शामिल हो सकते हैं।

*****